377. Thiru Arooran
378. Thirumandakudi
379. Cauvery
380. Nellikuppam
381. Villupuram
382. Ambika
383. Ponni
384. Sakthi
385. Shivganga
386. Bannari-Amman
387. Dharam
388. Pollur
389. Rajshree
390. Sethiathope
391. Cheyyap
392. Alapuram
393. Palayaseevaram
394. Mannam
395. Chittur
396. Tiruvalla
397. Aska
398. Bargarh
399. Dhenkanal
400. Nayagarh
401. Badamba
402. Dharamgarh
403. Ahmedpur
404. Plassey
405. Dimapur
406. Pondicherry
407. New Horizon
408. Tiska

Issue of ration-cards to people below poverty line

1120. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have examined at length the matter regarding issuing ration-cards to all persons whose income is below cut off level; and

(b) what new steps are being taken to strengthen the PDS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) Under the Targeted Public Distribution System (TPDS) introduced in June, 1997 the States/Union Territories have been asked to identify the families below poverty line (BPL) and issue special cards to them. To work out the number of BPL families the poverty estimates of the Planning Commission based on the methodology of "Expert Group on estimation of proportion and number of poor" under the Chairmanship of Late Prof. Lakdawala have been adopted. For the identification of BPL families the thrust is to include only the really poor and vulnerable sections of the society such as landless agricultural labourers, marginal farmers, rural artisans creaftsmen such as potters, tappers, weavers, blacksmiths, carpenters etc. in rural areas, and persons earning their livelihood on a daily basis in the informal sector like porters, coolies, rickshaw pullers and hand-cart puillers. Fruit and flower sellers on the pavement etc. in urban areas.

Realisation of levy rice target by F.C.I.

1121. SHRI K. M. SAIFULLAH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India are not realising levy rice target, as reported in a section of the press recently.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the target fixed for this purpose and the step taken to achieve it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) to (c) No, Sir. The collection of levy rice under the levy scheme depends on the quantity of paddy purchased by the millers. Hence no targets are fixed for procurement of levy rice.

A quantity of 46.46 lakh tonnes of levy rice has been procured for Central Pool upto 1.3.1999 in the current Kharif Marketing Season 1998-99, as compared to 56.33 lakh tonnes during the corresponding period last year. Levy collection in Punjab and Haryana was less due to exemption from levy granted to these

States due to unseasonal rains. However, levy collection in U.P., A.P. and Orissa is higher this year as compared to last year.

खाद्यान्नों का आयात

1122. **श्री डी0पी0 यादव** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के अन्त तक खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह मात्रा पिछले वर्ष से अधिक है; और

(ग) आयातित खाद्यान्नों को क्रय करने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी खाते पर केवल 14.15 लाख टन गेहूं की मात्रा का आयात किया गया था।

(ख) जी, नही।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान आयातित 14.15 लाख टन गेहूं का सी0आई0एफ0 मूल्य 939.27 करोड़ रुपये (अनन्तिम) है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों में मूल्य – वृद्धि का खुले बाजार पर प्रभाव

1123. **श्री खान गुफरान जाहिदी** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि से खुले बाजार पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग खुले बाजार में कीमतों में वृद्धि से अभी भी प्रभावित होंगे हालांकि सरकार द्वारा इन लोगों के संबंध में कीमतों में वृद्धि को वापिस ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो खुले बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्यों की वृद्धि को निष्क्रिय करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में मात्र 5.26% की वृद्धि हुई है जो कि "मार्जिनल" है।

दिनांक 29.1.1999 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन होने के पश्चात खुले बाजार में गेहूं और चावल के खुदरा मूल्यों में भारी वृद्धि होने की सूचना प्राप्त नही हुई है। इसी प्रकार खुले बाजार में चीनी के खुदरा मूल्यों में भी वृद्धि होने की सूचना नही मिली है।

खुले बाजार में मूल्य, मांग और आपूर्ति, सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, बाजार के मौसमी उतार-चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करते है।

सरकार खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निरंतर मानीटरिंग और समीक्षा करती है और यथावश्यकतानुसार सभी संभव उपाय किए जाते है।

महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1124. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या कितनी है और प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार अगले तीन वर्षो में ऐसे कुछ और गोदाम स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) दिनांक 31.12.1988 को स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्वाधीन गोदामों और ऐसे प्रत्येक गोदाम की क्षमता की जानकारी विवरण में दी गई है (**नीचे देखिए**)।

(ख) भारतीय खाद्य निगम का शोलापुर (महाराष्ट्र) में , 15,000 टन की भंडारण क्षमता वाले एक गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है।i